COVID-19
Most Urgent

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :आई.डी.एस.पी. / 2020 / 372 दिनांक : 04/04/2020

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज,
जयपुर / अजमेर / बीकानेर / जोधपुर (राज0)

विषय : रेल्वे अस्पताल में कोविड–19 केसेज के प्रबन्धन हेतु स्थापित आइसोलेशन वार्ड के निरीक्षण के संबंध में।

संदर्भः कार्यालय प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक, उ0प0रेल्वे मुख्यालय, जयपुर के पत्रांक No. Med/H/650/COVID-19 Dated : 02-04-2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा डा0 के. एल. दास, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर–पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, जयपुर ने अवगत कराया है कि कोविड–19 के संदिग्ध / पुष्ट रोगियों के प्रबन्धन हेतु रेल्वे अस्पताल जयपुर, अजमेर, बीकानेर एवं जोधपुर में उन्होंने क्रमशः 100, 60, 40 एवं 60 शैय्याओं का आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया है एवं उक्त में की गई तैयारी का सक्षम स्तर से निरीक्षण चाहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन कार्यरत रेपिड रेस्पॉन्स टीम को आज ही संबंधित चिकित्सालय में भेजकर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रिपोर्ट आई.डी.एस.पी. अनुभाग, मुख्यालय के ई–मेल आई.डी. rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर प्रेषित करें।

उक्त हेतु समन्वय के लिये डा0 आर0एस0 मटोरिया (उत्तर पश्चिम रेल्वे) (सम्पर्क सूत्र मो. नं. 9001195557, 9956322224) से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्न : संदर्भित पत्र

(रोहित कुमार सिंह)
अति0 मुख्य सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :आई.डी.एस.पी. / 2020 / 372 दिनांक : 04/04/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., मुख्यालय जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर–पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, जगतपुरा रोड, जयपुर
6. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0), मुख्यालय।
7. अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0), मुख्यालय।
8. प्रभारी, केन्द्रीय सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश संबंधित को ई–मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

अति0 मुख्य सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान जयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः कोरोना/2020/373 दिनांकः 02.04.2020

कार्यालय आदेश

कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के मद्देनजर वर्तमान में देशभर में लॉकडाउन घोषित किया गया है। अधिक रोगी पाये जाने वाले स्थानों पर संक्रमण रोकने के लिए विशेष व्यवस्था हेतु कर्फ्यू लगाये जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में जयपुर जिले के रामगंज क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। अतः सुविधा हेतु रामगंज क्षेत्र में रहने वाले सभी राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों सहित सभी निजी, स्वायत्त एवं अन्य उपक्रम आदि सभी संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी 14 दिवस अथवा अग्रिम आदेश तक घर पर ही रहे।

कोरोना वायरस के बचाव व नियंत्रण के संबंध में लोगो के मध्य दूरी बनाये रखना एवं एकत्रित नहीं होना महत्वपूर्ण एवं प्रभावी तकनिकी तरीका है। साथ ही कोरोना रोगी के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों एवं बुखार, सूखी खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ के लक्षणों वाले व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सा सुविधा हेतु सम्पर्क करना चाहिए। जनसामान्य की सुविधा हेतु राज्य स्तर पर हैल्प लाईन नम्बर 0141–2225624, 2225000 एवं टोल फ्री नम्बर 108/104 है। जयपुर जिले के कन्ट्रोल रूम नम्बर 0141–2605858, 2603426 है।

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः कोरोना/2020/373 दिनांकः 02.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी, सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (जनस्वास्थ्य), मुख्यालय।
6. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
7. **जिला कलेक्टर, जयपुर को भेज कर लेख है कि उपरोक्त की पालना सुनिश्चित करावें।**
8. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
9. नोडल अधिकारी (आईडीएसपी) मुख्यालय।
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– जयपुर।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम एवं द्वितीय।
12. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल करने वास्ते।
13. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएें,
राजस्थान जयपुर।

D:\Hindi Letter 2015..doc

Scanned with CamScanner